न्यायालय अपर कलक्टर, अजमेर

राजस्व प्रकरण संख्या 05/2015

1. श्री ओमप्रकाश पुत्र श्री बालूराम
2. श्रीमती निर्मला पत्नी श्री ओम प्रकाश जाति खाती निवासीगण ग्राम बघेरा तहसील केकड़ी जिला अजमेर।

.....*प्रार्थीगण*

बनाम

1. श्री दिनेश पुत्र श्री भानूप्रकाश जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम बघेरा तहसील केकड़ी जिला अजमेर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार केकड़ी।

.....**अप्रार्थीगण**

अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व
(कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन) नियम 1970

उपस्थित :– **1.** श्री शिव प्रकाश चौधरी, वकील प्रार्थीगण की ओर से।
2. श्री शुभकरण सिंह चौधरी, सरकारी वकील।

–: आदेश :–

दिनांक 30.03.2017

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि दिनांक 24.01.2013 को ग्राम पंचायत मुख्यालय बघेरा में आयोजित राजस्व अभियान में आवंटन सलाहकार समिति की सिफारिश के आधार पर उपखण्ड अधिकारी केकड़ी द्वारा श्री दिनेश पुत्र श्री भानूप्रकाश जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम बघेरा तहसील केकड़ी जिला अजमेर के पक्ष में ग्राम बघेरा के आराजी खसरा नम्बर 4702 रकबा 0.40 हैक्टर भूमि का कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में किए गये विवादित भूमि के आवंटन को विभिन्न कारणों से विधि विरूद्व बताते हुए उक्त आवंटन निरस्त करने हेतु यह प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में पेश किया है। प्रार्थना पत्र पेश होने पर अधिनस्थ न्यायालय का संबंधित रेकार्ड मंगवाया गया व अप्रार्थीगण के नाम नोटिस जारी किए गये। अप्रार्थी संख्या 1 स्वयं उपस्थित हुए तथा जवाब नोटिस पेश किया। तत्पश्चात् पत्रावली बहस हेतु निश्चित की गई। वरवक्त बहस अप्रार्थी संख्या 1 के अनुपस्थित रहने पर वकील प्रार्थीगण व पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई।

वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में उठाये गये बिन्दुओं की ताईद करते हुए व्यक्त किया कि अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में किया गया विवादित भूमि का आवंटन

अपर कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

न्याय, नियम व रेकार्ड पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। उनका कथन है कि विवादित भूमि खसरा नम्बर 4702 पूर्व खसरा नम्बर 2138/76 से बना है व खसरा नम्बर 2138/76 तालाबी भूमि है जो वर्किंग जमाबंदी संवत् 2041 से स्पष्ट है कि जिसमें भूमि को बिलानाम पानी से नीचे डूबी हुई भूमि (नाला और नदियां) का इन्द्राज है, जिसे अस्थाई तौर पर तीन साल हेतु आवंटन टैन्ट बैड अलॉटमेन्ट रूल्स के तहत किया जाता रहा है व प्रार्थी व उसके पिता कालूराम व माता आदि को अलाटमेन्ट किया गया था। विवादित भूमि पर उसी समय से प्रार्थीगण निरंतर काबिज काश्त है। वकील प्रार्थीगण ने आगे कथन किया कि विवादित भूमि को गलत तौर पर बारानी अंकित कर अप्रार्थी के पक्ष में नियम विरूद्व आवंटन कर दिया गया है जबकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के तहत नदी व नालों की भूमि की न तो किस्म बदली जा सकती है व न ही उसका आवंटन किया जा सकता है। पटवारी हल्का द्वारा गलत तौर पर भूमि को बारानी दर्ज कर राजनीतिक प्रभाव से आवंटन करवाया है जो निरस्त योग्य है। वकील प्रार्थीगण ने अपनी बहस जारी रखते हुए आगे कथन किया कि अप्रार्थी पेशे से काश्तकार नहीं है बल्कि भास्कर समाचार पत्र में बहैसियत पत्रकार कार्यरत होने के साथ ही उपभोक्ता मंच पाली में सदस्य नियुक्त है। अतः अप्रार्थी भूमिहीन कृषक की श्रेणी में नहीं आते है। अन्त में उन्होंने कथन किया कि अप्रार्थी द्वारा तथ्यों को छिपाकर मिथ्याकथन के आधार पर विवादित भूमि का आवंटन करवाया है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थी के पक्ष में किया गया आवंटन निरस्त किया जावे।

हमने वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतिशोध फोरम पाली के पत्र क्रमांक 251 दिनांक 13.05.2015 के अनुसार अप्रार्थी की नियुक्ति दिनांक 22.03.2012 को सदस्य के रूप में जिला मंच पाली से 5 वर्ष के लिए हुई है व वर्तमान में वह कार्यरत है। इससे स्पष्ट है कि वे सदभावी कृषक नहीं है तथा उनके द्वारा तथ्यों को छिपाकर मिथ्या कथन के आधार पर विवादित भूमि का आवंटन करवाया गया है।

उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में किये गये ग्राम बघेरा के आराजी खसरा नम्बर 4702 रकबा 0.40 हैक्टर भूमि का आवंटन निरस्त किया जाकर भूमि सिवायचक दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है।

आदेश आज दिनांक 30.03.2017 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय अपर जिला कलक्टर * अजमेर *

(किशोर कुमार)
अपर कलक्टर, अजमेर

Scanned by CamScanner